“<u>विज्ञापन का प्रारूप</u>”

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>विज्ञापन</u>

विज्ञापन क्रमांक 02/2024 **दिनांक 13 दिसबंर, 2024**

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना में **स्टॉफ कार ड्राईवर** के पदों की भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

पद का नाम	**स्टॉफ कार ड्राईवर**	
वेतनमान	छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत पे मैट्रिस के **लेवल 4 में (वेतनमान रू. 19500—62000)**	
पदों की कुल संख्या	**17**	
वर्गवार पदों का विवरण	अनारक्षित—9 (03 महिला सहित, 01 पद बैकलॉग)	कुल रिक्तियों में से 01 पद दिव्यांगजनो के लिये आरक्षित (**Locomotor disability include cerebral palsy, disease-free leprosy, dwarfism, acid attack victim and muscular dystrophy**)
	अनुसूचित जाति—03	
	अनुसूचित जनजाति—03	
	अन्य पिछड़ा वर्ग—02	
शैक्षणिक योग्यता	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य 2. वैध ट्रान्सपोर्ट (कामर्शियल) ड्राईविंग लायसेन्स [valid Transport (Commercial) Driving License] तथा समस्त प्रकार के वाहनों के चालन का अनुभव होना अनिवार्य है। कुशल/दक्ष मैकेनिक को प्राथमिकता दी जावेगी।	

<u>नोट :—</u> 1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है एवं पदों की संख्या में कभी भी कमी या वृद्धि की जा सकती है तथा आरक्षित पदों की संख्या में भी कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। यह विज्ञापन/भर्ती एवं नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एस.एल.पी. (सी) संख्या 19668/2022 के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक स्थानीय निवासी हैं। जो आवेदक अन्य राज्य के वास्तविक निवासी हैं और उन्हें अपने राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें केवल अनारक्षित पदों के लिए ही विचार किया जाएगा।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये।

4.आरक्षण केवल उन महिला उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हों।

5.दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी ज्ञापन संख्या एफ–13–4/2023 दिनांक 29–05–2023 के अनुसार (विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र) नियुक्ति के दौरान यूडीआईडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

<u>अन्य शर्तें :–</u>

1. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

2. दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। (केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी)

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः–

   1.छतीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष

   2.महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष (केवल ऐसी महिलाऐं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हों)

   3. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष।

परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जावेगा। साथ ही उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति को स्वप्रमाणित करना होगा। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद दिव्यांगजनों से ही भरा जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी की जाति श्रेणी के आधार पर अभ्यर्थी का नाम आरक्षण रोस्टर के सुसंगत बिन्दु में दर्ज किया जाएगा।

5. आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति

के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

6. मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक, जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किये जावेंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

7. महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी को ही नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा तथा यदि किसी भी प्रवर्ग में उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

8. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

9. आवेदक के एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे।

10. वह किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

11. वह किसी नैतिक दृष्टता हेतु अपराधी न ठहराया गया हो या किसी न्यायालय/उच्च न्यायालय/संघ/राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो।

12. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक विज्ञापित पद हेतु चाही गई योग्यता धारित करता/करती हो।

13. प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज (यथा– जन्म/आयु प्रमाण पत्र, कक्षा– 10वीं प्रमाण पत्र, वैद्य वाहन चालन परिवहन (वाणिज्य) का अनुज्ञापत्र [valid Transport (Commercial) Driving License] एवं अन्य उच्च शैक्षणिक अथवा तकनीकि प्रमाण पत्र), जाति एवं अनुभव प्रमाण पत्रों सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद **''स्टॉफ कार ड्राईवर'' के पद हेतु आवेदन पत्र** लिखा हो तथा लिफाफे के बांई ओर विज्ञापन क्रमांक 02/2024 तथा दिनांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, **''रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)''** को सम्बोधित होना चाहिए। शासकीय सेवारत् अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य

अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के गेट क्रमांक 02 पर रखे ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक **17.01.2025 को संध्या 5.00 बजे** तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे तथा ड्रॉप बॉक्स से भिन्न प्रकार से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा।

14. केवल ऐसे आवेदक जो शासकीय सेवारत् हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन के जारी होने के बाद का हो, सहित **''कार्यालय–रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)''** की ओर पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित करना होगा अन्यथा, उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

15. विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।

16. बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

17. आवेदक, आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें अन्यथा आवेदन पत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

18. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकि एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय आवेदक की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकि अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा शैक्षणिक, तकनीकि एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

19. नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे किसी आवेदन पत्र या समस्त आवेदन पत्रों को छंटाई के दौरान या कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकेगा।

20. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी/ सब–कमेटी द्वारा सम्पन्न की जावेगी। इस कमेटी/सब–कमेटी को चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापित पदों की संख्या से 100 गुना से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उपयुक्त आवेदकों की छंटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं की परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छंटाई की जा सकेगी। यह छंटाई पद के योग्यता एवं अनुभव के आधार पर की जा सकती है।

21. आवेदनों की छंटाई के पश्चात् आवेदकों को रोल नम्बर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, लिखित/प्रायोगिक परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान की जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाईट **https://highcourt.cg.gov.in** पर अपलोड किया जावेगा। आवेदकों के प्रवेश पत्रों को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की सूचना तथा लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान की सूचना उम्मीदवारों को उच्च न्यायालय के वेबसाइट, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से ही दी जावेगी।

22. उम्मीदवारों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जावेगी। प्रथम चरण में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जावेंगे। जिसमें अभ्यर्थी को 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उक्त निर्धारित अंक प्राप्त किये हो, उन्हें ही द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा हेतु पात्र माना जायेगा।

द्वितीय चरण में 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी जिसमें से उम्मीदवारों को प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना होगा अन्यथा उन्हें अनर्ह घोषित कर दिया जावेगा।

इसके अतिरिक्त अर्ह पाये गये ऐसे उम्मीदवार जो कि पॉलिटेक्नीक/आई.टी.आई./वाहन कम्पनियों के अधिकृत डीलर द्वारा जारी किये गये चार पहिया/भारी वाहन के कुशल प्रशिक्षित मेकेनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 5 अंक दिये जायेंगे।

23. अर्ह पाये गये/घोषित किये गये अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक एवं नियमानुसार दिये गये अतिरिक्त अंक के आधार पर तैयार किया जावेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि अनुसार पहले जन्मे अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।

24. प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपयुक्त पाये गये आवेदकों का प्रवेश पत्र उच्च न्यायालय के वेबसाईट https://highcourt.cg.gov.in पर अपलोड किया जावेगा। आवेदक अपना प्रवेष पत्र डाउनलोड कर आई.डी. प्रूफ (पहचान पत्र) यथा– ड्राईविंग लायसेंस/वोटर आई.डी. कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पास–बुक/ पैन कार्ड/स्मार्ट कार्ड सहित प्रतियोगी परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। **किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप में प्रतियोगी परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।**

25. किसी भी अभ्यर्थी को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

26. उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

27. चयनित अभ्यर्थियों को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति किया जावेगा।

28. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेंगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी। उनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम 2017 के अध्यधीन होगी।

29. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

30. प्रत्येक आवेदक को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

31. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया/प्रतियोगी परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

32. प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार

अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/ निरिक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

33. उक्त विज्ञापन ''छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम 2017'' के अध्यधीन है, तथा इस विज्ञापन/भर्ती/चयन प्रक्रिया आदि के संबंध में किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ही मान्य किया जावेगा।

उपरोक्त शर्तें स्वीकार्य होने पर ही अभ्यर्थी उपरोक्त पद हेतु आवेदन करें।
संपूर्ण विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप इस उच्च न्यायालय के वेबसाईट **https://highcourt.cg.gov.in** पर उपलब्ध है।

सही/–
(के. विनोद कुजूर)
रजिस्ट्रार जनरल